

नाम न्यायालय SDO JPR-II

केस संख्या 166/2017 दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/11/18	<p>पञ्जाली पेश हुई। पीएचएम साहब। उक्त राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पञ्जाली पूर्वानुसार दिनांक 11/11/18 व्यक्त हैं।</p>
<p>13/5/2018</p> <p>का. प्र.</p> <p>File by</p> <p>(अंशक सुनवाम)</p>		<p>वादी द्वारा धारणा-पत्र आवत बाद पत्र को बिना बिना जान तथा लखनवा 10/5/18 से आम लखन बिने जाने के निवेदन पर पञ्जाली आज लखन की गई। वादी का एक अतिव्यवस्था उपस्थित। धारणा-पत्र का अतिव्यवस्था बिना जान तथा कार्य को पुनः गान। वादी ने जाहिर किया कि वादी एवं परिवारीय से एक लखन 16 के मध्य में पंचगणों द्वारा आपसी सहमति से शरीरगत किया गया है, अतः बच कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा बाद पत्र को बिना बिना-चाहते हैं।</p> <p>वादी एवं अतिव्यवस्थावादी उक्त बाद बिना कर बिने जाने के कारण अतिव्यवस्था के द्वारा लखनवा को कोई अतिव्यवस्था नहीं मया है। अतः बाद वादी बिना बिने जाने के कारण लखनवा बिना लखनवा पञ्जाली</p>

फर्द अहकाम

नालू बनाम चौधरी कर्ण

सी. नं. 11

16/12/2017 दना

प्रमाणित

दिनांक

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

दिलख सुकरा देकर कर गकर
से कम हो। अने 20 अज दिने
03/05/2018 को करे अजलक मे
बुनामा गमा।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सौगानेर)

साहब |
मत:
10/12/17

मप कावत नाद पत्र
जा उबरमा 10/12/17
ताने के दिने दन
रख की गडी।
केवकर अजलित।
कर दिना गमा।
गमा) नादी न
दी रज अधिकारी
मपन से पंचगडी
दि से शरी कर
अनेई कारकादी
नाद पत्र के दिना